भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम एवं संशोधन वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम।

वनोपजों के अभिवहन और इमारती लकडियों और अन्य वनोपज पर उग्रहणीय शुल्क से (सम्बद्ध) विधि का समेकन करना समीचीन है। अतः एतत् निम्नलिखित रूप में वह अधिनियिमत किया जाता है-

सार संग्रह : तात्पर्य - इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व भारत में भारतीय वन विधान 1878 प्रभावशाली था। इस अधिनियम के बनने के उपरान्त इसके चार संशोधनों, जो 1890, 1901, 1918 एवं 1919 में हुए, का एकीकरण किया गया है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का प्रकाशन भारतीय राजपत्र 1926 खण्ड 5 पृष्ठ 165 में दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के विधि तथा विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 12023-XX-I-अ (वि. सं. 74) दिनांक 12 जून, 1974 द्वारा "दी इण्डियन फारेस्ट एक्ट" का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19, वर्ष 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्राधिकृत हिन्दी पाठ म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ख) दिनांक 28-5-76 पृष्ठ सं. 441 आदि पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1 - संक्षिप्त नाम व विस्तार - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "भारतीय वन अधिनियम, 1927" है।

(2) इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग 'ख' (Part B) राज्यों में समाविष्ट थे सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन राज्य क्षेत्रों को लागू है, जो प्रथम नवम्बर 1956 के ठीक पूर्व बिहार, बम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे। कोई भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम को, पूर्ण राज्य में या उसके किसी विशिष्ट भाग में, जिस पर इसका विस्तार है, पर वहाँ यह प्रवर्तन (Force) में नहीं है, प्रवर्त्तन में ला सकेगी।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विधान क्र. 23, वर्ष 1958 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) धारा (1) के खण्ड (2) के अंत में निम्न प्रतिस्थापित :

- 'मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत एवं सिरोंज क्षेत्र छोडकर'

(ख) नवीन उपधारा (3) प्रतिस्थापित।

(3) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल एवं सिरोंज क्षेत्र पर भी किया जाता है।

यह नियम भारत के संविधानीय परिवर्तन के फलस्वरूप एडाप्टेशन लॉ आर्डर 1937, 1950, 1956 में सम्मिलित (Adapt) किया गया।

तदनुसार यह अधिनियम मध्यप्रदेश की रियासतों में दिनांक 25 फरवरी, 1973 से प्रभावशील हुआ।

[G.S.R. 42 (E) दिनांक 1 फरवरी, 1973]

धारा 2 - निर्वचन खण्ड - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो :

(1) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, घोडे, घोडियाँ, खस्सी पशु, टट्टू, बछेडे, बछेडियाँ, खच्चर, गधे, सुअर, भेडें, भेडियां, मेमने, बकरियाँ, और बकरियों के मेमने हैं।

(2) "वन अधिकारी" (Forest Officer) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार से सशक्त अधिकारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के, सब या किसी, प्रयोजन को पूरा करने के लिये, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा किये जाने के लिये आपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करे।

टिप्पणी

वन अधिकारी को वन-भूमि के अतिक्रामकों को ऐसी अतिक्रमित भूमि को पट्टे पर देने या तत्संबंध में समझौता करने का अधिकार नहीं है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राज्य वगे 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 खंडपीठ, म.प्र.)

(3) "वन अपराध" (Forest Offence) से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है।

टिप्पणी

"कत्था" एवं "कुच्च" वन उपज की परिभाषा अंतर्गत सन्निहित हैं। (म.प्र. राज्य वि. सेल्स एजोन्सीज 2005 (1) विधि भास्वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 क्रि.लॉ.ज. 1832 = 2004 = सु.को. के (क्रि. 1313)।

(4) "वनोपज" के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएँ :

(क) निम्न वस्तुएँ भले ही वन में पाई जावे, वन से लाई गई हों या नहीं यथा

अर्थात् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल (resin), [1](सैलक (Shellac), गोंद), प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ बीज, [2](तेन्दू पत्ता), कुथ (Kuth) और हर्रा, बहेड़ा, आँवला (myrobolans) हैं।

(ख) निम्नलिखित जब वन में पाई जावे अथवा वन से लाई जावें तब :

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल एवं फल और वृक्षों के इससे पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग एवं उपज,

(ii) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और जैसे पौधों के सब भाग व उपज या घांस, बेलें नरकुल, काई सहित,

---

1. म.प्र. राज्य संशोधन नियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा जोड़ा गया।
2. भारतीय वन (म.प्र. संशोधन) अधि. 1989 (1 वर्ष 1990) के द्वारा तेन्दू पत्ता म. प्र. (असाधारण) गजट दिनांक 10.1.90 को प्रकाशित से जोड़ा गया)

(iii) वन पशु, पशु की खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग एवं उत्पादन,

(iv) पीट (peat) सतही मिट्टी (Surface soil), चट्टान (rock) एवं खनिज (minerals) जिसमें चूने के पत्थर, लेटराइट (लाल मुरूम), खनिज तेल और खानों (mines) एवं खदानों से प्राप्त मिनरल आईल एवं तेलीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

[1](4-क) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन में हैं।

(5) "नदी" के अन्तर्गत कोई सरिता (Stream) नहर (Canal), क्रीक या अन्य धारा (Channel) है। चाहे प्राकृतिक अथवा क्रत्रिम (Artificial) हो।

(6) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जो गिर गये हों या गिराये गये हों और समस्त लकड़ी, जो किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो (Cut up), फैशन की गई हो (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) या न की गई हो।

(7) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बाँस, ठूँठ, झाड़ी, और बेंत प्रजाति सम्मिलित हैं।

नोट : (1) इस अधिनियम में 'वन' शब्द की परिभाषा नहीं दी है। प्रथम बार 'वन' शब्द की व्याख्या खण्डपीठ नागपुर (A.I.R. Nagpur), लक्ष्मण इच्छाराम वि. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ के प्रकरण में परिभाषित की गई है जो निम्न है :

'वन' ऐसे भूखण्ड जो वृक्षों एवं छोटे वृक्षों आच्छादित हों, या ऐसा वृक्षों वाला भूखण्ड, जो वन प्राणी शिकार के लिये हो, या बिना काश्त की जंगली जमीन हो।

नोट : (2) वन अधिकारी (Forest Officer) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक (Public Servant) है।

[2]नोट : (3) नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी समकक्ष वन अधिकारी हैं।

नोट : (4) चन्दन तेल वन उपज है। खुशबू इन्टरप्राइज एवं अन्य (सर्वोच्च न्यायालय वि. केरल सरकार (28.5.93)

---

1. भारतीय वन संशोधन अधिनियम (3) वर्ष 1933 के अन्तर्गत प्रति संस्थापित
2. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. ष-5-खखख-84 दस-3 के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल, वनरक्षक को समकक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी नियुक्त किया।

अध्याय 2

आरक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 3 - वनों को आरक्षित करने की शक्ति - राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Wasteland) जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सम्पत्ति के अधिकार हैं, या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा किसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

टिप्पणी - इस धारा में वन भूमि तथा पड़त भूमि शामिल है, चाहे वह किसी के कब्जे में हो, लेकिन अन्य भूमि तभी इसके अन्तर्गत आवेगी जब वह किसी के मालिकाना, कब्जे में न हो (1980 All LJ NOC 77)।

धारा 4 - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना - जब किसी भूमि को आरक्षित वन (Reserved Forest) बनाने का निश्चय कर लिया गया हो तब राज्य सरकार राजपत्र में निम्न आशय की अधिसूचना जारी करेगी -

(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित बनाया जावेगा।

(ख) ऐसी भूमि की स्थिति एवं सीमा को यथा-सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।

(ग) ऐसी सीमाओं में समाविष्ट किसी भूमि में, या भूमि पर या किसी वन उपज में या वन उपज पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों के दावों की जाँच एवं
अवधारण करने के लिये और उनके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिये जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी जिसे इसमें या इसके पश्चात् "वन व्यवस्थापन अधिकारी" (Forest Settlement Officer) कहा गया है को नियुक्त करने वाली।

स्पष्टीकरण

(1) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिये यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाये मार्गों नदियों पुलों या अन्य सुविदित एवं सहज समझी जाने वाली सीमाओं से वर्णित की जावें।

(2) उपधारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतः ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन विभाग के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य वन पद (Forest Officer) नहीं धारण कर रखा हो।

(3) इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को, इस नियम के अधीन अधिकतम तीन तक अधिकारी वन व्यवस्थापन अधिकारी का कर्त्तव्य पालन करने हेतु नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी जिसमें अधिकतम एक अधिकारी "वन अधिकारी" भी हो सकता है।

धारा 5 - अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त, ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में, या भूमि पर, कोई अधिकार, उत्तराधिकार के जरिये या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिये गये अनुदान या की गई संविदा के अधीन वर्जित होने के सिवाय, अर्जित न होगा, न ही राज्य शासन द्वारा बनाये नियमों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में कृषि या अन्य प्रयोजन के लिये कटाई, वनों की सफाई की जा सकेगी।

टिप्पणी धारा 5 : धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये नियमों के अतिरिक्त उक्त वन में लकड़ी कटाई अथवा वनों की सफाई धारा 26 (1) के अन्तर्गत वन अपराध (Forest Offence) है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो।

धारा 6 - वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त वन व्यवस्थापन अधिकारी सम्बन्धित भूमि के आस-पास बसे समस्त ग्रामों में, स्थानीय भाषा में, निम्न उद्घोषणा प्रकाशित करावेगा -

(क) प्रस्तावित वन की स्थिति एवं सीमाओं को यथा सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।

(ख) ऐसे वन के आरक्षण होने पर एवं उसके पश्चात् होने वाले परिणामों तथा उपबन्धों की व्याख्या एवं जानकारी देने वाली सूचना।

(ग) ऐसी घोषणा करने की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि नियत करने वाली तथा धारा 4 या 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकार के स्वरूप का, और उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकार के परिमाण और विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि में प्रस्तुत करे या उपस्थित होकर कथन करे।

टिप्पणी (1) : यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी ने पड़त भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आक्षेप निरस्त कर दिया है तथा कलेक्टर ने वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील निरस्त कर दी है और ऐसी निरस्त अपील के विरूद्ध कोई निगरानी नहीं प्रस्तुत की गई हो तो व्यवहार न्यायालयों (Civil Courts) को उस भूमि का मुआवजा दिलाने का अधिकार नहीं है (देखें महालक्ष्मी बैंक लि. वि. बंगाल प्रान्त (ए. आई. आर. 1942 कलकत्ता पृष्ठ 371)।

टिप्पणी (2) उपधारा (ग) : के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका उस भूमि पर सूचना प्रकाशन की तिथि को अधिकार था। धारा 4 के अन्तर्गत सूचना प्रकाशन के उपरान्त (Assignee) इस धारा के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का हक नहीं है। इस परिस्थिति में Limitation Act की धारा 5 का भी लाभ नहीं मिलेगा। (1981, All LJ NOC 23)

धारा 7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिये गये अधिकार के दावे से सम्बन्धित वादों की सुविधाजनक स्थान पर जाँच करेगा इसके अतिरिक्त, उन अधिकारों की, जो धारा 4 एवं 5 में वर्णित हैं, या शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध है अथवा जिनकी जानकारी ऐसे व्यक्तियों के कथनों से जिन्हें अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन धारा 6 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है परन्तु उनसे प्राप्त कर उनकी भी जाँच सुविधाजनक स्थान पर करेगा।

धारा 8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ - ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिये वन व्यवस्थापन अधिकारी निम्न शक्तियों का उपयोग कर सकेगा - अर्थात् -

(क) किसी भूमि पर, स्वयं या इस प्रयोजन के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, प्रवेश करने सर्वेक्षण करने (To Survey), सीमांकन करने (Demarcate) या उसका नक्शा बनाने की शक्ति और

(ख) वादों के विचारण में सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ।

धारा 9. अधिकारों का निर्वापन - वे अधिकार, जिनका दावारा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की जानकारी धारा 7 के अन्तर्गत की गई जांच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन अधिकारी का समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अन्दर ऐसा दावा न कर सकने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित (extinct) हो जावेंगे।

नोट I . यदि भूमि धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तब दावा करने वाले ने समयावधि में दावा नहीं किया है तो भी उनके दावे निर्वापित नहीं होंगे। (उत्तर प्रदेश राज्य वि. महन्त अवधनाथ A.I.R. 1977, All. 129)

धारा 10. स्थानान्तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धति सम्बन्धी दावों का निराकरण -

(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पद्धति (Shifting Cultivation) से सम्बन्धित दावे की अवस्था में दावेदारों का कथन लिपिबद्ध करेगा जिनमें बाद का विवरण हो तथा उस नियम या आदेश का विवरण प्राप्त करेगा, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की खेती प्रचलित है, तथा यह कथन एवं विवरण अपनी राय सहित, जिसमें यह स्पष्ट करेगा कि इस पद्धति की अनुमति दी जावे या पूर्णतः अथवा अंशतः प्रतिबन्धित की जावे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार उस कथन एवं राय के प्राप्त होने पर, इस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।

(3) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात की जाती है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी :

(क) बन्दोबस्त वाली भूमि की सीमायें इस प्रकार बदल दें कि इस पद्धति की खेती हेतु उचित प्रकार की, आवश्यक मात्रा (Suficient extent), में तथा वादियों के लिये सुविधाजनक स्थान की भूमि दावदारों के लिये अपवर्जित हो जावे, या

(ख) बन्दोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों का पृथक् से सीमांकन (Demarcation) कराकर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पद्धति के लिये दावेदारों को अनुज्ञा देकर उसके प्रयोग का प्रबन्ध कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन किये गये सब इन्तजाम राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी के अधीन होंगे।

(5) स्थानान्तरी पद्धति से खेती के सम्बन्ध में यह समझा जावेगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य सरकार नियन्त्रित, निर्बन्धित, और उत्सादित कर सकती है।

धारा 11. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है - वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि से या पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किये गये दावे की दशा में, जो मार्ग अधिकार, चराई अधिकार, वनोपज सम्बन्धी अधिकार या जल मार्ग सम्बन्धी अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णतः या भागतः मन्जूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या अंशतः मंजूर किया जाता है तो व्यवस्थापन अधिकारी या तो :

(i) ऐसी भूमि को प्रभावित वन की सीमाओं से अपवर्जित (exclude) करेगा या -

(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण (surrender) के लिये स्वामी से करार (Agreement) करेगा।

(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगा।

(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के लिए :

(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बावत यह समझा जावेगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर है।

(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जावेगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला हितबद्ध व्यक्ति है।

(ग) इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है, और

(घ) दावेदार की सम्मति से, या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सम्मति से भूमि के रूप में या भागतः भूमि और भागतः धन के रूप में प्रतिकर कलेक्टर के अधिकार अनुसार अधिनिर्णित कर सकेगा।

धारा 12. चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम्बन्ध में आदेश - चराई या वन उपज पर अधिकारों से सम्बद्ध दावे की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णतः या अंशतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेगा।

टिप्पणी - (धारा 12) माननीय उच्च न्यायालय ने म. प्र. बीकली नोट्स 1978, पार्ट 1, क्रमांक 342) हर्रा व्यापारी संघ वि. म. प्र. राज्य में यह निर्णय प्रदान किया है कि राज्य शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह धारा 12 के अन्तर्गत वनोपज का निवर्तन किसी भी रीति से कर सकता है।

धारा 13. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अभिलेख - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित को यथासाध्य अभिलिखित करेगा -

(क) अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास, उपजीविका, और

(ख) उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यदि कोई हों) का नाम, स्थिति और क्षेत्रफल तथा उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और स्थिति, जिनके विषय में अधिकारों का दावारा किया है।

धारा 14. जहां दावा मंजूर किया गया है वहां अभिलेख - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर लेता है, तो वह उन पशुओं की संख्या और विवरण, जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह ऋतु जिसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञप्त है, उस इमारती लकड़ी और अन्य उपज का परिमाण जिसे वह समय-समय पर लेने या प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, और ऐसी अन्य विशिष्टयाँ जैसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा प्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज बेची जा सकेगी या वस्तु विनिमय की जा सकेगी या नहीं।

धारा 15. मंजूर किये अधिकारों का प्रयोग - वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के सम्बन्ध में दावा किया गया है, उनको बनाये रखने का सम्यक ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जावे।

(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए :

(क) इस प्रकार आरक्षित किये जाने वाले वन खण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा पर्याप्त विस्तार वाला और युक्तियुक्त रूप में सुविधाजनक स्थान में स्थित वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिये उपवर्णित कर सकेगा, और इस प्रकार मंजूर किये विस्तार तक यथास्थिति चराई या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(ख) प्रस्तावित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान की वन भूमि अपवर्जित (exclude) हो जावे।

(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चराई या वन उपज के अधिकार ऐसे मन्जूर किए विस्तार तक, आदेशित ऋतु में, तथा प्रस्तावित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर, और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जावें, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।

धारा 16. अधिकारों का रूपान्तरण (Commutation) - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी, आरक्षित वन को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखकर धारा 15 के अन्दर ऐसे व्यवस्थापन करना असम्भव पाता है जिससे इस प्रकार मन्जूर किये गये विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त बनावें, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के संदाय द्वारा, या भूमि के अनुदान द्वारा, या किसी अन्य रीति से, जिसे ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों रूपान्तरण कर सकेगा।

धारा 17. धारा 11 धारा 12 धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति, दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिये राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे :

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय, जिसे इसमें इसके पश्चात् वन न्यायालय (Forest Court) कहा गया है, स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी और जब यह न्यायालय स्थापित हो जावे तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी।

नोट : (1) मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1028-3769-10-64 जो मध्य प्रदेश राज्य पत्र भाग 1 दिनांक 20-11-64 पृष्ठ 2765 में प्रकाशित है, धारा 17 के अधीन अपने क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष (Collector) को अपील सुनने के लिये प्राधिकृत किया है।

टिप्पणी 1. (धारा 17) वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन कलेक्टर को अपील सुनने हेतु अधिकृत किया है तो कलेक्टर "परसोना डेजिगनेटा" (Persona Designeta) है देखें ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 472, इलाहाबाद लॉ जर्नल 1967 ।

यदि ऐसी अपील के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये हैं तो केवल कलेक्टर स्वयं ही अपील सुन सकता है।

टिप्पणी 2. इस धारा के अन्तर्गत अपील करने हेतु वन अधिकारी (Forest Officer) को भी प्राधिकृत किया है और वही अपील मेमो पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा वह राज्य शासन की ओर से कर रहा है। (उ.प्र. शासन वि. डिस्ट्रिक्ट जज, फैजाबाद एवं अन्य, AIR 1971, Allahabad 229)

धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील (1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा दी जायेगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जावेगी जो उसे सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी को भेज देगा।

(2) यदि अपील धारा 17 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जावे तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिये विहित रीति से उसकी सुनवाई की जावेगी।

(3) यदि अपील वन न्यायालय (Forest Court) के समक्ष की जावे, तो न्यायालय, अपील की सुनवाई के लिये कोई दिन, तथा प्रस्तावित वन के आसपास ऐसा सुविधाजनक स्थान, नियत करेगा और इसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तद्नुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पद, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य शासन के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

धारा 19, अधिवक्ता (Pleaders) - राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी, अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने (Plead) और अपनी ओर से कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

धारा 20. प्रस्तावित वन को "आरक्षित वन" (Reserved Forest) घोषित करने की अधिसूचना -

(1) जब कि निम्नलिखित घटनायें घटित हो गई हों, अर्थात् -

(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि समाप्त हो गई हो तथा धारा 6 एवं 9 के अधीन सब दावों का (यदि कोई हों) वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो।

(ख) यदि ऐसे दावे किये गये हों तो ऐसे दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि समाप्त हो गई हो और कालावधि में प्रस्तुत की गई सभी अपीलों का निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, और

(ग) जबकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियाँ (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1984) के अधीन अर्जित करने के लिये चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित की गई हो।

तब राज्य सरकार परिसीमन सीमा-चिन्हों के अनुसार या अन्यथा उस वन की जिसे आरक्षित किया जाता है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिश्चित करने वाली अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना "राजपत्र" में प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा वन इस प्रकार नियम तारीख से आरक्षित वन (Reserved Forest) समझा जावेगा।

[1]धारा 20-अ-वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेगें - इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील कोई अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे भारतीय राज्य की सीमा के अन्तर्गत की वन भूमि (Forest Land) या पड़त भूमि (Waste Land) उन राज्यों के किसी एकिकृत राज्य (Integrated State) में विलय होने की तिथि से और अब उस राज्य का भाग होने से इस धारा में अन्यत्र "संविलयित राज्य" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा (Merger Territories) -

(i) संविलयन (Merger) की तिथि (1.11.56) के ठीक पूर्व उस समय प्रचलित किसी कानून, रीति-रिवाज (Custom), नियम, अधिनियम, आदेश या अधिसूचना के अधीन जिस भूमि को सम्बन्धित राज्य शासन के "आरक्षित वन" (Reserved Forest) के रूप में मान्यता दी हो, या

(ii) कथित तिथि के ठीक पूर्व किसी प्रशासकीय रिपोर्ट में समाविष्ट, या किसी कार्य आयोजन (Working Plan) के अनुसार या किसी रजिस्टर में अभिलिखित (Recorded in Register) या रजिस्टर के अनुसार मान्य ओर कथित तिथि के बाद भी जा उस रूप में मानी गई है।

---

1. मध्य प्रदेश अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 20 (अ) प्रतिस्थापित

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "आरक्षित वन" (Reserved Forest) माने जावेंगे।

(2) प्रश्नास्पद सीमा में प्रभावशील इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, आदेश या अधिसूचना के अभाव में किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उपधारा (1) में वर्णित कोई विधान, रिवाज, नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना विधिवत् प्रभावशील उसी तरह माने जावेंगे जैसे कि वे नियम, आदेश, अधिसूचना इस नियम के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि उन्हें निरस्त, परिवर्तन या सुधार विधिवत् न किया जावे।

(3) उल्लिखित कोई रिपोर्ट, कार्य आयोजना या पंजी या उसमें कोई प्रविष्टि के सम्बन्ध में विवाद, व्यवहार न्यायालय में पस्तुत नहीं किया जा सकेगा, बशर्ते कि राज्य शासन यह प्रमाणित न कर दें कि कथित रिपोर्ट, कार्य योजना या पंजी, कथित शासक के प्राधिकार के अन्तर्गत विलयन की तिथि के पूर्व तैयार किया गया है और उसके बाद राज्य शासन द्वारा उनके प्राधिकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और अविरत एवं प्रचलित है।

(4) संविलयित राज्य सीमा में ग्राम वन, संरक्षित वन या आरक्षित वन के अतिरिक्त अन्य कोई, किसी नाम से ज्ञात या स्थानीय नाम से ज्ञात मान्यता प्राप्त वन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित वन (Protected Forest) माने जावेंगे और उपधारा (2) एवं (3) के अन्तर्गत यथा आवश्यक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) प्रभावित होंगे।

स्पष्टीकरण 1. कार्य योजना (Working) से तात्पर्य कोई कार्य-योजना (Plan) परियोजना (Scheme), प्रोजेक्ट (Project), नक्शे (Maps), चित्र (Drawings) एवं अभिन्यास (Layouts) से है जो वन के कार्य, या प्रबन्ध के दौरान कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये तैयार किये गये हों।

स्पष्टीकरण 2. शासक (Ruler) से तात्पर्य संविलयन की तिथि से पूर्व दरबार प्रशासन से है और स्टेट गवर्नमेंट (State Government) से तात्पर्य कथित तिथि के बाद उत्तराधिकारी शासन से है।

स्पष्टीकरण 3. एकीकृत राज्य से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (15) में भारतीय राज्य का जो अभिकथन है, वही अर्थ होगा।

स्पष्टीकरण 4. एकीकृत राज्य से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान, मध्य भारत राज्य, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल राज्य जो 1.11.56 के पूर्व विद्यमान थे, होगा।

नोट - आरक्षित वन में वन अपराध होने पर उसका न्यायालय में चालान करते समय "आरक्षित वन" प्रमाणित करने के लिए धारा 20 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना आवश्यक होती है। (अब्दुल वहाव वि. राज्य, MPLJ 1963 SN 37)

[(1969) 35 Cut. LT पृष्ठ 343]

(1970)-36 Cut. LT 395

धारा 21. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आस-पास के ग्रामों में प्रकाशन - ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तिथि के पूर्व, वन अधिकारी, इस अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर वन के आसपास के हर नगर एवं गाँव में प्रकाशित करावेगा।

धारा 22. धारा 15 या 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति - राज्य सरकार, धारा 15 या 18 के अधीन किये गये किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन के पांच वर्ष के अन्दर कर सकेगी। धारा 15 या 18 के अधीन किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिये विखण्डित (Resuned) या रूपान्तरित (Modify) कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जावे या धारा 12 के अधीन मन्जूर किये गये अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तरण (Commute) किया जावे।

धारा 23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबन्धित रीति के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा - आरक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, केवल उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के समय निहित था, या उसकी ओर से दिये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा के अधीन अर्जित किये जाने के सिवा, अर्जित नहीं होगा।

टिप्पणी

वन-भूमि के अतिक्रामकों को पट्टे पर देने की शक्ति राज्य शासन को नहीं है। वह इस संबंध में समझौता करने की शक्ति भी नहीं रखती है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राजय वगै. 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 (खण्डपीठ, म.प्र.)।

धारा 24. बिना स्वीकृति अधिकारों का अन्य संक्रामण (Alienated) न किया जावेगा - धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार जो धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्टे बन्धक (Mortage) या अन्यथा अन्य संक्रान्त न किया जावेगा।

परन्तु जब कि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न (Appended) है तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा या अन्य संक्रान्त किया जा सकता।

(2) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, उस मात्रा तक के सिवाय जो धारा 14 के अधीन आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या विनिमय नहीं की जा सकेगी।

धारा 25. आरक्षित वनों में के पथों एवं जल मार्गों को बन्द करने की शक्ति - वन अधिकारी, आरक्षित वन में किसी लोक या प्रायवेट मार्ग या जल मार्गों को राज्य सरकार अथवा उसके निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किये मार्ग या जल मार्ग की बजाय ऐसा प्रति स्थानी पथ या जल मार्ग जिसको राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबन्धित या सम्निर्मित (Constructed) किया गया है।

टिप्पणी - धारा 25 वन विभाग द्वारा निर्मित वन मार्ग सार्वजनिक मार्ग नहीं है तथा वन विभाग ऐसे मार्गों के उपयोग को नियन्त्रित कर सकता है। वन विभाग द्वारा वन मार्ग पर ट्रक/बस के परिवहन हेतु शुल्क वसूल करना संविधान के आर्टिकल 265 के विपरीत नहीं है, बल्कि ऐसी सेवा देने के उपलक्ष्य में हैं। (आनन्द ट्रांसपोर्ट कं. प्रायवेट लि. वि. वन मण्डलाधिकारी - रायपुर (दक्षिण) वन मण्डल AIR 1959, Madhya Pradesh, 224)

धारा 26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य - (1) कोई व्यक्ति जो -

(क) धारा 5 के अधीन प्रतिबद्ध नई कटाई, सफाई करेगा या

(ख) आरक्षित वन में [1]या उस क्षेत्र की भूमि में जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, आग लगावेगा, या राज्य सरकार द्वारा बनाये किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या जलते छोड़ देगा जिससे ऐसे वन संकटापन्न हो जावे।

या जो आरक्षित वन में

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

(ग) ऐसी ऋतुओं में, के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति न तो आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा।

(घ) पशुओं का अतिचार (Trespass) करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अतिचार करने की अनुमति (Permit) देगा।

(ङ) किसी वृक्ष की कटाई या [1]से ले जाने में लापरवाही से वन को हानि पहुँचाएगा।

(च) किसी वृक्ष को काटेगा (Fells), वृक्ष के सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर गहरा घाव (Girdle) बनायेगा, छाँटेगा (पत्ती या डाल काटना) (Lopping), छेवेगा (गोंद आदि निकालने के उद्देश्य से घाव बनाना) (Tap), या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियाँ तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाएगा। [1]या किसी अन्य वन उपज को नुकसान पहुंचावेगा।

(छ) पत्थर की खुदाई करेगा (Quarries), चूना अथवा लकड़ी की कोयला फूँकेगा (Burns) या किसी वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या विनिर्माण की प्रक्रिया में वनोपज का संग्रहण या परिवहन करेगा।

(ज) खेती या अन्य प्रयोजन के लिये [1]किसी आरक्षित वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या काश्त करता है या अन्य विधि से काश्त करने का प्रयास करता है।

(झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछाएगा, या

(ञ) ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ हाथी परिरक्षण नियम, 1879 (1879) का 6) प्रवृत्त नहीं है,

इस प्रकार बनाये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा। या वन को नुकसान पहुँचाने के कारण, ऐसे प्रतिकार के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना, सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे या ऐसी अवधि के कारावास से जो [1](1 वर्ष) तक हो सकेगा या जुर्माने से जो [2](पन्द्रह हजार) रूपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) इस धारा की बात के बावत यह न समझा जायेगा कि वह -

(क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये कार्य, को या

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखे गये या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा (23) के अधीन किये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है।

(3) जब किसी आरक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज से सम्बन्धित सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिये जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा।

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी

प्राथमिक सूचना अपराध को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण लेखपत्र है। उसके लिखे जाने में विलम्ब पश्चातवर्ती सोच का जनक होता है। ऐसी परिस्थिति में दोष सिद्धि संभव नहीं होती है। (म.प्र. राज्य वि. जमादार 2004 (1) मनिसा 27 (म.प्र.)।

आरक्षित वन क्षेत्र में वहाँ की भूमि को खोदकर निकाला गया फ्लेग स्टोन ट्रक में रख दिए जाने के उपरांत उसे उसी वन क्षेत्र की परिसीमा में जप्ति उपरांत ट्रक के समय हरण की कार्यवाही वैध थी। (म.प्र. राज्य वि. शब्बीर खान, 2006 (2) म.प्र.लॉ.ज. 50 (म.प्र.)।

(1) धारा 26 (1) के अन्तर्गत अपराध में यहा प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरक्षित वन से लकड़ी काटी गई एवं ले जाई गई। यह सबूत करने का अभियोजन पक्ष का उत्तरदायित्व है। (AIR 1959, SC 147)

(2) वन भूमि से वृक्ष गिराना नहीं, ले जाना भी अपराध है।

(3) मध्य प्रदेश संशोधित 9, वर्ष 1965 काफी व्यापक है संशोधित प्रावधान के अनुसार यह प्रमाणित करना काफी है कि अपराधी काश्त करता है या काश्त करने का प्रयास करता है चाले वह; वह व्यक्ति न हो जिसने सर्वप्रथम की थी। अपराधी की दलील कि वन भूमि पर पूर्व से की काश्त होती आ रही है मानने योग्य नहीं है। अपराधी काश्त करने का दोषी है। (State Vs. Jaimal, 1974 MPLJ SN 117, AIR 1924 Nag. 190 Dist.)

(4) मध्य प्रदेश बीकली नोट्स 1983 क्र. 379 कान्तिलाल वि. म. प्र. शासन, में यह निर्णय प्रदान किया गया है कि धारा 26 (1) सहपठित धारा 379 भा. द. वि. के अपराध में आरोप लगाने के लिये सारभूत कारण प्रथम दर्शनीय उपबन्ध है कि अभियुक्त के पास इस सम्बन्ध में कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण या समाधान कारक उत्तर नहीं है कि उसने ताजी काटी गई काफी मात्रा में इमारती लकड़ी का आधिपत्य कैसे प्राप्त किया है।
ऐसी स्थिति में माननीय उच्च-न्यायालय ने द.प्र.सं. 1973 की धारा 482 के अधीन आपराधिक आरोप को निरस्त करने का आवेदन अस्वीकार किया है।

(5) कोई व्यक्ति, उस वन भूमि में (जिसके आरक्षित करने के शासन की मंशा के अनुरूप धारा 4 के अन्तर्गत सूचना जारी कर दी है लेकिन धारा 6 अथवा 20 की कार्यवाही शेष है) काश्त के लिये भूमि तोड़ता है, तब यह काफी है कि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हो गई है तथा धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचना आवश्यक नहीं है। (1972 Cri L.J. 706)

(6) उपधारा (घ) के अन्तर्गत वन अपराध में लिप्त पशु भी उसी प्रकार राजसात् (Confiscation) के योग्य है जिस प्रकार अवैध इमारती लकड़ी का परिवहन करते गाड़ी बैंल AIR 1938 Nag. 385)

(7) प्रत्येक वृक्ष को काटना अलग-अलग अपराध है कोई व्यक्ति जितने वृक्ष काटेगा उतने अपराध करेगा। (AIR 1918 All. 351)

धारा 27. यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा है - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन कोई आरक्षित वन या उसका प्रभार, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियम तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जावेगा।

(2) इस प्रकार उक्त तारीख से ऐसा वन या उसका प्रभार आरक्षित वन नहीं रह जावेगा किन्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हो) जो निर्वापित (extinguished) हो गये हों, ऐसा न रहने के परिणामस्वरूप पुनर्जीवित (Revive) नहीं हो जावेंगे।

अध्याय 3

ग्राम वनों (Village Forest) के सम्बन्ध में

धारा 28. ग्राम वनों का निर्माण - (1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन (Reserved Forest) कर दी गई है किसी ग्राम समुदाय को शासन के अधिकार समनुदेशित कर सकेगी और समनुदेशन (Assignment) रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित वन "ग्राम वन" कहलावेंगे।

(2) जिस ग्राम समुदाय (Village Community) को ऐसा समनुदेशन किया गया है, उस ग्राम समुदाय के लिये इमारती लकड़ी, या अन्य वन उपज या चराई का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, उन्हें ऐसे वन के संरक्षण एवं सुधार के लिये, उनके कर्त्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिये बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से सम्बद्ध है, वहाँ तक (जहाँ तक कि वे इस प्रकार बनाये नियमों से असंगत नहीं है) ग्राम वनों को लागू होंगे।

अध्याय 4

सरंक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 29. सरंक्षित वन - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में जो आरक्षित वन नहीं है, परन्तु वह शासन की सम्पत्ति है या उस पर शासन का सम्पत्तिक अधिकार है, या कुछ या समस्त वन उपज जिसका शासन हकदार है, लागू होंगे। (2) इस अधिसूचना में सम्मिलित समस्त वन भूमि या पड़त भूमि को 'संरक्षित वन' कहा जावेगा। (3) ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जावेगी जब तक उस भूमि पर सरकार या प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) है जब तक कि प्रतिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे:

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जाँच एवं अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

धारा 30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) संरक्षित वन के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग (class of trees) को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस वन के किसी भाग को अधिकतम तीस वर्ष तक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, बन्द कर सकेगी, तथा इस कालावधि में ऐसे प्रभाग पर प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकार, ऐसी अवधि के दौरान निलम्बित रहेंगे, परन्तु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग पर्याप्त हो तथा वह उस क्षेत्र के व्यक्तियों, जिनके अधिकार निलम्बित हुए हैं, के प्रयोग के लिये पर्याप्त तथा युक्तियुक्त स्थान में हो, या

(ग) ऐसे वन की किसी भूमि में पत्थर निकालना (Quarrying of stones), चूने का भट्ठा लगाना (Burn Lime) या कोयला बनाना (Burn Charcoal), वन उपज का संग्रहण कर विनिर्माण की प्रक्रिया करने, या वन उपज का परिवहन करने (Removal) और वन में काश्त करने, भवन बनाने या पशुओं को रोधने (Herding of Cattles) या अन्य कारण से वनों की सफाई करना और भूमि तोड़ना पूर्वोक्त नियत तारीख से प्रातिषिद्ध कर सकेगी।

धारा 31. अधिसूचना के अनुवाद का आस-पास के क्षेत्रों में प्रकाशन - कलेक्टर, धारा 30 के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर संदर्भित वन के आस-पास के प्रत्येक ग्राम व नगर में सहज दृश्य स्थान लगवायेगा।

धारा 32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति - राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी, अर्थात्

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई (Cutting) चिराई (Sawing), संपरिवर्तित (Conversion), करना और हटाना (Removal) तथा संरक्षित वन की वनोपज का संग्रहण (Collection), विनिर्माण (Manufacture) या परिवहन (Removal)।

(ख) संरक्षित वन के समीप के नगरों एवं ग्राम के निवासियों को अपने उपयोग के लिये वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने हेतु अनुज्ञप्ति लेना (License) और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना।

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिये वनों से वृक्षों, या इमारती लकड़ी को काटने (Feeling) या हटाने (Removing) एवं अन्य वन उपज का परिवहन करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ (License) प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियाँ पेश और वापस किया जाना।

(घ) खण्ड (ख) एवं (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा जैसे वृक्षों को काटने अथवा इमारती लकड़ी या वन उपज संग्रहित करने एवं हटाने की अनुज्ञा के लिये, किये जाने वाले भुगतान (Payments) यदि कोई हों।

(ङ) ऐसे वृक्षों इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के बारे में किये जाने वाले अन्य भुगतान (Payment) और वे स्थान जहाँ ऐसा संदाय किया जावेगा।

(च) ऐसे वनोंपज को जो संरक्षित वन से बाहर जावे, जांच कराने के सम्बन्ध में।

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य प्रयोजन के लिये भूमि की कटाई, सफाई और भूमि तोड़ना।

(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी एवं धारा (30) के अन्तर्गत आरक्षित वृक्षों की अग्नि से सुरक्षा।

(झ) ऐसे वनों से घास कटाना एवं पशु चराना।

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना, पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षेत्रों में जहाँ हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1797 का 6) प्रवृत्त नहीं है, हाथियों को पकड़ना।

(ट) धारा (30) के अधीन वन के किसी बन्द प्रभाग का संरक्षण और प्रबंध और

(ठ) धारा (29) में निर्देशित अधिकारों का प्रयोग।

टिप्पणी (1) - (1) मध्य प्रदेश शासन मोहलाइन पत्तों को ठेके पर दे सकता है तथा शासन को ऐसे पत्तों को घोष विक्रय के लिये विवश नहीं किया जा सकता (देखें 1965, एम.पी.एल.जे. टिप्पणी 129)।

टिप्पणी (2) - अधिकार शुल्क केवल उन पर लगाई जा सकती हे जो संरक्षित वन से उपज लें। (सूरजदीन वि. शासन 1960 रा. नि. 39)।

धारा 33. धारा 30 की अधिसूचना या धारा 32 के अधीन बने नियमों के उल्लंघनों के लिये शक्तियाँ - (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात् -

(क) धारा 30 के द्वारा आरक्षित [1]किसी वृक्ष, वन या वनोपज को गिरायेगा (Fells), वृक्ष को सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर घाव करेगा (Girdles), पत्ते या डाल छांटेगा (Lopping), गोंद आदि निकालने के लिये छेवेगा (Taps) या उसकी छाल या पत्ती निकालेगा (Strips off the Break or leaves) या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुँचावेगा।

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध (Prohibition) के प्रतिकूल (Contrary) पत्थर की खुदाई (Quarry) करेगा, या चूने का भट्टा लगावेगा (Burns Lime) या कोयला बनावेगा (Burns Charcoal) या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, और उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलायेगा या किसी वनोपज को हटावेगा।

[2](ग) किसी संरक्षित वन में धारा 30 के अधीन किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ेगा या साफ करेगा काश्त करेगा या काश्त करने का प्रयत्न करेगा या अन्य विधि से काश्त करेगा (Cultivate in any other manner),

(घ) ऐसे वन में आग लगावेगा या बिना युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते आग जलावेगा जिससे धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, क्षति पहुँचे या धारा 30 (ख) के अधीन ऐसे बन्द किये क्षेत्र में फैल जावे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

(ङ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के समीप में उसके द्वारा जलाई आग को जलती छोड़ देगा।

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरावेगा या इमारती लकड़ी को इस प्रकार [1]हटावेगा कि जिससे धारा 30 के अन्तर्गत आरक्षित वृक्ष को हानि पहुँचे।

(छ) इस प्रकार के वृक्ष को पशुओं के द्वारा हानि पहुँचावेगा।

(ज) धारा 32 के अन्तर्गत बनाये नियमों का अतिलंघन (Infringe) करेगा।

(1) वह उस अवधि के कारावास से जो [1]एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो [1]पन्द्रह हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी संक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निर्देश दे सकेगी, कि ऐसे वन में या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिये जितना राज्य सरकार ठीक समझती है, निलम्बित करेगा।

टिप्पणी - (1) यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से संरक्षित वन में प्रवेश करे तो उस व्यक्ति के विरूद्ध धारा 33, अथवा भा.द.वि. की धारा 447 के अधीन मामला चलेगा।

(2) क्रिमिनल लॉ जर्नल (Criminal Law Journal), 1983 पृष्ठ 64 पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीय किया है कि धारा 33 के वन अपराध में नरम रूख नहीं अपनाना चाहिए, इस धारा के अधीन कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

इस निर्णय में भारतीय उच्च न्यायालय ने वन से सम्बन्धित अपराध पर वन अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही निष्ठा से करने का बल दिया है।

(3) धारा 33 (1) (क) के अन्तर्गत अपराध जमानत योग्य (Congnizable Offence) है। और अपराधी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

धारा 34. इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किये गये कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी - इस अध्याय की कोई बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा कि ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है, जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में, या धारा 30 के अधीन बन्द किये गये किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका प्रयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किये जाने के अलावा किया गया है।

[1]34 अ. संरक्षित वन नहीं होने की घोषणा की शक्ति - राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसे संरक्षित वन या उसके भाग को "संरक्षित वन" न होने की अधिसूचना निर्गमित कर सकता है।

इस प्रकार नियत तिथि से संरक्षित वन या उसे भाग 'संरक्षित वन' नहीं रहेंगे किन्तु वे अधिकार, (यदि कोई हो) जो समाप्त हो गये हैं, संरक्षित वन की समाप्ति पर पुनः जीवित नहीं होंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 से धारा 34 (अ) जोड़ी गई।

अध्याय 5

जो वन और भूमियाँ सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियंत्रण के सम्बन्ध में

धारा 35. विशेष प्रयोजनों के लिये वनों का संरक्षण - (1) राज्य सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा किसी वन या पड़त भूमि (Waste land) में :

(क) खेती के लिये भूमि तोड़ना या साफ करना।

(ख) पशु चराना (या)

(ग) वनस्पति (Vegetation) को जलाना या साफ करना।

(घ) पौधों या वृक्षों का काटना।

उस सूरत में विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमित या प्रतिषेध निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात्

(i) आंधी (Storms), तेज हवा (Winds), लुढकते पत्थर (Rolling Stones), बाढ़ (Floods), और हिमानी (Avalanches) से संरक्षण।

(ii) पहाड़ी भूभागों के शिखरों, ढलानों एवं घाटियों पर मृदा का परिरक्षण (Soil preservation), भूस्खलन (Landslips) या खादर (Ravines) और बेगधारा (Torrents) के बनने से रोकना, या भूमि का कटाव (Soil erosion) या उस पर बालू, पत्थर, बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण।

(iii) झरना (Springs), नदियों, तालाबों में जलपूर्ति बनाये रखना।

(iv) मार्गों, पुलों, रेलों के संचार मार्ग एवं अन्य मार्गों का संरक्षण।

[1](iv-a) वनों की हानि को रोकने एवं वनों के विकास एवं सुरक्षा के लिये।

(v) लोक स्वास्थ्य (Public Health) का परिरक्षण (Preservation)

(2) राज्य सरकार, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसे संकल्प कार्य (Works), जैसे वह ठीक समझती है, किसी वन या पड़त भूमि पर अपने व्यय से बनवा सकेगी।

(3) जब तक कि ऐसे वन या भूमि के स्वामी को इस बात के समाहित करने वाली सूचना दे दी गई हो कि तुम ऐसी सूचना से विनिर्दिष्ट, युक्तियुक्त कालावधि के अन्दर यह हेतुक दर्शित करो, कि यथास्थिति ऐसी अधिसूचना क्यों न निकाली जावे या संकल्प (Work) क्यों न बनाया जावे और जब तक कि उन अपेक्षाओं की, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य की, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, और राज्य सरकार उस पर विचार न कर चुकी हो, तब तक धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जावेगी और न ही उपधारा (2) के अधीन कोई कार्य (Work) आरम्भ किया जावेगा।

धारा 36. वनों का प्रबन्ध संभालने की शक्ति - (1) 35 के अधीन किसी विनिमय या प्रतिषेध की अपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में या, उस धारा के अधीन होने वाले संकल्प (Work) के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित सूचना के पश्चात् तथा उस सूचना पर उसके आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् उसे वन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर सकेगी और घोषित कर सकेगी कि आरक्षित वनों से सम्बन्ध इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उसमें से कोई उपबन्ध इस भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबन्ध से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, तो उक्त भूमि के स्वामी को दिये जावेंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 से (IV-a) जोड़ा गया।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 द्वारा धारा 36 (3) जोड़ी गई।

[1](3) शुद्ध लाभ की गणना करते समय वन के कार्य एवं प्रबन्ध में कुल किये गये खर्च की गणना, गणना की तिथि तक तथा कार्य व प्रबन्ध से प्राप्त कुल लाभ में समायोजित कर निकाली जावेगी।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिये :

(अ) कुल आय की गणना में वनोपज के सम्बन्ध में वन अपराधों में की गई जप्तियाँ (जो अपराध भूमि स्वामी ने नहीं किये हों) के राजसात् से प्राप्त कीमत होगी उसमें से सूचना देने वाले को कोई पारितोषिक दिया होगा वह घटाये जाने के बाद शेष राशि बचेगी, वह होगी।

(ब) कुल खर्च में निम्न खर्च सम्मिलित किये जावेंगे -

(i) कुल आय का 20 प्रतिशत राज्य सरकार को पर्यवेक्षण व्यय (Supervision Charges) के रूप में देय होगा।

(ii) ऐसे वन के राज्य सरकार के प्रबन्ध में आने की तिथि के पश्चात् भूमि स्वामी द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत या कोई अर्जित लाभ।

(iii) वन प्रबन्ध के सम्बन्ध में वन-विभाग के कर्मचारियों को दिये गये वेतन एवं अन्य भत्ते।

(iv) ऐसे अन्य आकस्मिक व्यय, जो वन अधिकारी द्वारा किये गये हों जिनमें वन-उपज (Article) के संग्रहण, परिवहन या विक्रय का व्यय तथा वन-उपज के जप्त (forfeit), या राजसात (Confiscate) का व्यय सम्मिलित होगा।

धारा 37. कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्व हरण - (1) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियन्त्रण में रखने के बजाय उसे लोक प्रयोजन के लिये अर्जित किया जावे, तब राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से उसे अर्जित करने के लिये कार्यवाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 में समाविष्ट किसी अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्षों में या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय भूमि स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि यदि लोक प्रयोजन के लिये अर्जित की जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को अर्जित कर लेगी।

धारा 38. स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण - (1) किसी भूमि का स्वामी, या उसके एक से अधिक स्वामी हैं, तो उनमें से कम से कम दो तिहाई अंशों के स्वामी, इस दृष्टि से कि इस भूमि पर रोपण या संरक्षण किया जावे, कलेक्टर को अपनी इस इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे कि -

(क) हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में, वन अधिकारी द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन जो परस्पर करार पाये जावें प्रबन्ध किया जावे।

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन्ध या कोई उपबन्ध (Provisions) ऐसी भूमि को लागू कर दिए जावें।

(2) दोनों में हर अवस्था में, राज्य सरकार ऐसी भूमि को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी जिसे वह ऐसी भूमि की परिस्थितियों में उचित समझते हों और जो आवेदकों द्वारा वांछित हो।

अध्याय 6

इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

धारा 39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क आरोपित करने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, ऐसे स्थानों में और ऐसी दरों पर, जैसी वह अधिसूचना द्वारा घोषित करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्ग्रहीत कर सकेगी -

(क) जो उन राज्यों के क्षेत्रों, में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, उत्पन्न होते हैं, और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है, या

(ख) जो उन नियमों के क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, बाहर के किसी स्थान से लाया जाता है।

(2) ऐसे हर मामले में, जिसमें ऐसे शुल्क की बाबत यह निर्दिष्ट किया गया है कि वह मूल्यानुसार उद्ग्रहीत की जावे, केन्द्रीय सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, वह मूल्य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शुल्क निर्धारित होगा।

(3) इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज पर जो शुल्क या उस समय, जब वह अधिनियम किसी राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उसमें उद्ग्रहीत होते हैं, उन

सबके बाबत यह समझा जावेगा कि वे इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत होते हैं, और सम्यक् रूप से उद्ग्रहीत रहे हैं।

(4) जब तक कि संसद (Parliament) द्वारा प्रतिकूलतः उपबन्ध नहीं किया जाता, राज्य सरकार इस धारा में किसी बात के होते हुए किसी भी शुल्क को लगातार उद्ग्रहीत कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप में विधि पूर्णतः उद्ग्रहीत करती थी। परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी शुल्क का उद्ग्रहण प्राधिकृत नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर के स्थान की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य उपज के पूर्व कथित के पक्ष में विभेद करती है, या जो राज्य के बाहर किसी स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के मामले में, किसी एक स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच विभेद करता है।

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार इमारती लकड़ी या वनोपज पर शुल्क लगा सकती है, चाहे वह इस अधिनियम के क्षेत्र में उत्पन्न की गई हो। (देखें AIR 1965, Madhya Pradesh 215)।

धारा 40. सीमा सम्बन्धी उपबन्ध, क्रय धन या स्वामित्व के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा - इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह समझा जावेगा कि वह उस राशि को, यदि कोई हो तो जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर क्रयधन या स्वामित्व के रूप में प्रभार्य है, सीमित करती, भले ही ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर रीति से उद्ग्रहीत होता है, जिसमें से शुल्क उद्ग्रहीत होता है।

अध्याय - 7

अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी एवं वन उपज के नियंत्रण के संबंध में

धारा 41. वन उपज के अभिवहन (Transit) को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति –

(1) इमारती लकड़ी को बहाकर परिवहन करने के लिये विषय में, सब नदियाँ और उनके स्त्रोतो का नियन्त्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में कोई इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार है तथा वह इमारती लकड़ी या वनोपज के परिवहन के विनियमित (Regulate) करने संबंधी नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम –

(क) उन मार्गो को विहित कर सकेगे जिनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज राज्य में आयात या राज्य से निर्यात् या राज्य के अन्दर परिवहन की जा सकेगी।

(ख) ऐसे अधिकारी के पास बिना, जो उसे देने लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(ग) ऐसे पासों को दिये जाने, पेश करने, या वापस करने के लिये तथा उसके लिये फीस के दिये, जाने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(घ) अभिवहन में, इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उसकी देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामित्व या प्रभार के कारण कोई शुल्क सरकार को देय है, या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये चिह्न लगाना (Affix a mark) वांछनीय है, उसके बारे में रिपोर्ट देने, रोकने, उसका परीक्षण करने, (Examination) चिह्नित करने के लिये रोककर उपलब्ध कर सकने के नियम बना सकेंगे।

(ड) उन डिपो (Depot) की स्थापना और विनिमय के लिये जिनसे किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज व्यक्तियों द्वारा, जिनके भार-साधक में वह है, परीक्षा के लिये, या ऐसे धन के दिये जाने के लिये, या उस पर चिह्न लगाने के लिये, ले जाई जावेगी तथा उन शर्तों का, जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपो को लाई जावेगी, उनमें संग्रहीत की जावेगी, और उनसे हटाई जावेगी, उपलब्ध कर सकेंगे।

(च) इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिये प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तट को बन्द करना या बाधित करना या ऐसी किसी नदी में घास, शाखायें या पत्तियाँ फेंकना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे ऐसी नदी का मार्ग बन्द या बाधित हो जावे, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(छ) ऐसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिये उस व्यक्ति से, जिनके कार्यो की उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्च वसूल करने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिये गढ़्ढा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित (Convert) करना, काटना, जलाना, छिपाना (Concealing) या विनियर (Vineer) बनाना या लकड़ी पर लगे चिह्नों को परिवर्तित करना (Altering) या नये चिह्न लगाना (Effacing) या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने वाले हथौड़े (Making Hammer) का अपने आधिपत्य में रखना या साथ ले जाना, पूर्णरूप से या शर्तो के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(झ) इमारती लकड़ी के लिए संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे। उस समय को विहित कर सकेगे, जिनके लिये रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, एसे चिह्नों की उन संख्या को सीमित कर सकेंगे, जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराये जा सकेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये फीसों के उदाहरण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे।

धारा 41-क. कस्टम प्रन्टियर के पार इमारती लकड़ी के परिवहन विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ - धारा 41 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस मार्ग को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन्य-उपज ऐसे किन्हीं कस्टम फ्रन्टियर के पार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित है, आयात, निर्यात या राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है या उनसे आयात-निर्यात या स्थानान्तरित परिवहन जा सकेगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई नियम, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहकर ही प्रभावी होंगे।